

इस-कृत्य की पूर्व-अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.



पंजी क्रमांक भोपाल द्विवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 573]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 नवम्बर 1995—अप्रहसन 8, शके 1917

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 1995

क्र. 13313-इक्कीस-अ (प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 25 नवम्बर, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३७ सन् १९९५.

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९५.

विषय-सूची.

कार्य :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. विश्वविद्यालय.
४. विश्वविद्यालय की शक्तियां.

सूची :

५. अधिकारिता.
६. सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए विश्वविद्यालय का खुला होना.
७. विद्यार्थियों का निवास.
८. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
९. कुलाधिपति.
१०. कुलपति.
११. प्रति-कुलपति.
१२. प्राध्ययन केन्द्रों (स्कूलों) के सहायक.
१३. कुल सचिव.
१४. वित्त अधिकारी.
१५. अन्य अधिकारी.
१६. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
१७. प्रबंध बोर्ड.
१८. प्रबंध बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य.
१९. विद्या परिषद्.
२०. योजना बोर्ड.
२१. प्राध्ययन केन्द्रों का बोर्ड.
२२. वित्त समिति.
२३. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी.
२४. परिनियम बनाने की शक्ति.
२५. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
२६. अध्यादेश बनाने की शक्ति.
२७. विनियम.
२८. वार्षिक रिपोर्ट.
२९. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें.
३०. विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील तथा माध्यस्थ्य की प्रक्रिया.
३१. अपील का अधिकार.
३२. भविष्य तथा पेंशन निधि.
३३. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन के बारे में विवाद.
३४. समितियों का गठन.
३५. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.
३६. विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना.
३७. संरभावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण.
३८. संक्रमणकालीन उपबंध.
३९. परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

- (झ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और उसके अन्तर्गत है विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द;
- (ञ) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
- (ट) "छात्र निवास" (हॉल) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संचारित महाविद्यालय या संस्था के विद्यार्थियों के लिए निवास स्थान की या सामूहिक जीवन की इकाई;
- (ठ) "संस्था" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संचारित कोई शैक्षणिक संस्था जो महाविद्यालय नहीं है;
- (ड) "योजना बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड;
- (ढ) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संचारित किसी महाविद्यालय या संस्था का प्रधान और जब कोई प्राचार्य न हो तो उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूपेण नियुक्त किया गया है और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य की अनुपस्थिति में उप प्राचार्य जिसे कि इस रूप में सम्यक् रूपेण नियुक्त किया गया है;
- (ण) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है उच्च विद्या प्रदान करने वाली कोई संस्था जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है;
- (त) "मान्यता प्राप्त अध्यापक" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संचारित किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी जाए;
- (थ) "विनियम" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम जो तत्समय प्रवृत्त हों;
- (द) "प्राध्ययन केन्द्र" (स्कूल) से विश्वविद्यालय का प्राध्ययन केन्द्र अभिप्रेत है;
- (ध) "परिनियम" और "अध्यादेश" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त क्रमशः परिनियम और अध्यादेश;
- (न) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" से अभिप्रेत है आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), प्राध्यापक (लेक्चरर) तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय में या संस्था में जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संचारित किया जाता है शिक्षा देने के लिए या अनुसंधान कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, और जो अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में अभिहित किए गए हैं;
- (प) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय;
- (फ) "वर्ष" से अभिप्रेत है तीस जून को समाप्त होने वाली बारह मास की कालावधि.

३. (१) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायगा, विश्वविद्यालय,

(२) विश्वविद्यालय का मुख्यालय ग्राम करौदी, तहसील सिहौरा, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश में होगा तथा वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी जैसा कि वह उचित समझे शिक्षा केन्द्र (किम्स) स्थापित कर सकेगा।

(३) प्रथम कुलाधिपति, कुलपति और प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद् या योजना बोर्ड के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाएं, जब तक कि वे ऐसा पद या ऐसी सदस्यता धारण किए रहते हैं मिलाकर एतद्द्वारा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन किया जाता है।

(४) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मूद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा।

४. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय की शक्तियां.

(एक) वैदिक विद्या तथा पद्धति की समस्त शाखाओं में, जिसमें दर्शन, आगम तंत्र, इतिहास, पुराण, उपवेद और ज्ञान विज्ञान सम्मिलित है शिक्षण के लिए तथा संस्कृत के अध्ययन की प्रोन्नति तथा विकास के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, व्यवस्था करना और अनुसंधान कार्य तथा ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(दो) ऐसी शक्तों के, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा, मूल्यांकन या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधि पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे उपाधि पत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं को उचित तथा पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(तीन) बहिर्बर्ती (एक्स्ट्रान्यूरल) अध्ययन, प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवा आयोजित करना और उसका जिम्मा लेना;

(चार) सम्मर्पित उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में प्रदान करना;

(पांच) दूर शिक्षा पद्धति द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(छह) उच्च विद्या प्रदान करने वाली संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे मान्यता देना तथा ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(सात) किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संस्था में शिक्षा देने के लिए व्यक्तियों को मान्यता देना;

(आठ) उन व्यक्तियों को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे हों, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त करना;

(नौ) अध्यापन, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

- (दस) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालयों, प्राधिकारी या उच्च विद्या प्रदान करने वाली किसी अन्य संस्था के साथ सहकार करना या सहयोग करना या उनके साथ सहयुक्त होना;
- (ग्यारह) अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे शिक्षा केन्द्रों, विशेष केन्द्रों, विशेषज्ञीय प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक है;
- (बारह) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिका, पदक तथा पुरस्कार सन्निहित करना और देना;
- (तेरह) महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा छात्र निवासों को स्थापित करना तथा उनको संधारित करना;
- (चौदह) अनुसंधान और सहायकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना तथा उन प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से ऐसा ठहराव करना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;
- (पन्द्रह) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों (कोर्सेस), अभिविन्यास (ओरिएण्टेशन) पाठ्यक्रमों, कर्मशालाओं, विचार गोष्ठियों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और उनका संचालन करना;
- (सोलह) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में ऐसे विशेष इन्तजाम करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
- (सत्रह) अभ्यागत आचार्यों (विजिटिंग प्रोफेसर) प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान दे सकें, सविदा पर नियुक्त करना;
- (अठारह) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति, किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग को स्वशासी प्रास्थिति प्रदान करना;
- (उन्नीस) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण का कोई अन्य तरीका सम्मिलित हो सकेगा;
- (बीस) प्रवेश के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थान नियत करना;
- (इक्कीस) फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;
- (बाईस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इन्तजाम करना;
- (तेईस) कर्मचारियों के सभी प्रवर्गों की सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत उनकी आभरण संहिता भी है, अधिकथित करना;
- (चौबीस) विद्यार्थियों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना तथा उसका पालन करवाना तथा इस संबंध में ऐसे अन्य अनुशासनात्मक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा

(पच्चीस) कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इन्तजाम करना;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और कोई जगम या स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत न्यास तथा विन्यास सम्पत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, प्रबंध करना और उसका व्ययन करना;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(अट्ठाईस) ऐसे समस्त अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

५. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

अधिकारिता.

६. विश्वविद्यालय समस्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश, वर्ग, अधिवास स्थान के हों और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या वहाँ से स्नातक होने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए, धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी कोई परीक्षण अपनाए अथवा उस पर अधिरोपित करे।

सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए विश्वविद्यालय का खुला होना.

परन्तु इस धारा में की किसी भी बात के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के नियोजन या औक्षणिक हितों के प्रोत्तयन के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित करती है।

७. दूर शिक्षा पद्धति द्वारा पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले विद्यार्थी से भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी सामान्यतया किसी छात्र निवास या छात्रावास में ऐसी जगहों के अधीन निवास करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

विद्यार्थियों का निवास.

८. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

- (१) कुलाधिपति;
- (२) कुलपति;
- (३) प्रति कुलपति;
- (४) प्राध्यमन केन्द्र (स्कूल) के संकायाध्यक्ष;
- (५) कुलसचिव;
- (६) वित्त अधिकारी; और
- (७) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

९. (१) महर्षि महेश योगी प्रथम कुलाधिपति होंगे और अपने जीवन पर्यन्त पद धारण करेंगे।

कुलाधिपति.

(२) प्रथम कुलाधिपति के पश्चात् प्रबंध बोर्ड वैदिक शिक्षा के अग्रगण्य व्यक्तियों में से तथा विख्यात विद्वानों में से एक कुलाधिपति नियुक्त करेगा जो पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(4) कुलाधिपति, उपस्थित होने पर, उपाधिका प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उसे ऐसी शक्तिजा प्रत्यायोजित की जा सकेगी जो आवश्यक हो।

कुलपति

१०. (१) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक प्रमुख होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(३) कुलपति, यदि उसकी यह राय है कि किसी मामले में तुरत कार्रवाई की जाना आवश्यक है, किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदान की गई है और ऐसे मामले में अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा।

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय को सेवा में के किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो कुलपति द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्रवाई से व्यपित है, यह अधिकार होगा कि वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील प्रबंध बोर्ड को उस तारीख से तीन मास के भीतर करे जिसको उसे विनिश्चय या उस कार्रवाई की सूचना दी जाती है और तदुपरि प्रबंध बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपान्तरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

(4) कुलपति, यदि उसकी यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा उस प्राधिकारी को प्रदान की गई शक्तियों के परे है या यह कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, संबंधित प्राधिकारी से यह अनुरोध कर सकेगा कि वह अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन, ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर करे और यदि वह प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागत पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या साठ दिन की उक्त कालावधि के भीतर उसके द्वारा उस पर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाए।

उप-कुलपति

११. एक या अधिक उप-कुलपति ऐसी रीति में नियुक्त किए जा सकेंगे और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

प्राध्ययन केन्द्रों
(स्कूलों) के
अध्यक्ष

१२. किसी प्राध्ययन केन्द्र (स्कूल) का प्रत्येक संकायाध्यक्ष ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

कुल सचिव

१३. (१) कुल सचिव ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(२) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

१४. वित्त अधिकारी ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे विध अधिकारी कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

१५. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य अन्य अधिकारी परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे.

१६. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

- (१) प्रबंध बोर्ड;
- (२) विद्या-परिषद्;
- (३) योजना बोर्ड;
- (४) अध्ययन बोर्ड;
- (५) वित्त समिति; और
- (६) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाए.

१७. (१) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित होंगे:- प्रबंध बोर्ड.

(एक) कुलपति;

(दो) प्रति-कुलपति;

(तीन) प्राध्यापन केन्द्रों (स्कूल ऑफ स्टडीज) का संकायाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(चार) विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष जो संकायाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नामनिर्देशित किया जाएगा;

(पाँच) एक आचार्य (प्रोफेसर) जो संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(छह) एक उपाचार्य (रीडर) जो विभागाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(सात) एक प्राध्यापक जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(आठ) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती;

(नौ) वैदिक शिक्षा में और/या सार्वजनिक जीवन में विशिष्टता प्राप्त चार व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे.

(२) पदेन सदस्यों से भिन्न प्रबंध बोर्ड के समस्त सदस्य, उस रूप में उनके नामनिर्देशन अथवा नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे.

(३) बोर्ड के सम्मिलन के लिए प्रबंध बोर्ड के सात सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

प्रबंध बोर्ड की
शक्तियां तथा कृत्य.

१८. (१) प्रबंध बोर्ड को विश्वविद्यालय के राजस्व तथा संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की ओर विश्वविद्यालय के उन समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके संबंध में अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी.

(२) प्रबंध बोर्ड को इस अधिनियम, परिनिघमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात्:—

(एक) अध्यापन तथा शैक्षणिक पद सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उपलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संस्थाओं के प्राचार्यों के कर्तव्य और सेवा की शर्तें परिभाषित करना;

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा अध्यापकों तथा शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों के संबंध में कोई भी कार्रवाई विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं;

(दो) इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिश पर ऐसे आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द जैसे कि आवश्यक हों और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संस्थाओं के प्राचार्यों को नियुक्त करना और उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(तीन) प्रशासनिक, अनुसंधानीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना और उसमें ऐसी रीति में नियुक्तियां करना, जैसी कि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए;

(चार) कुलाधिपति तथा कुलपति को छोड़कर विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की अनुपस्थिति-छुट्टी मंजूर करना और ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक इंतजाम करना;

(पांच) परिनिघमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और उसे लागू कराना;

(छह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, विनिधान, संपत्ति, कामकाज तथा समस्त अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध करना और उनका विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ताओं को नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे;

(सात) वित्त समिति की सिफारिशों पर किसी वर्ष में कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्ययों की सीमा नियत करना;

(आठ) विश्वविद्यालय के किसी भी धन का जिसमें अनुपयोजित आय भी सम्मिलित है, समय-समय पर ऐसे स्टार्को, निधियों, अणों या प्रतिभूतियों में, जैसे कि वह उचित समझे, विनिधान करना या भारत में स्थावर सम्पत्ति के प्रयोजन के लिए, ऐसे भिन्न-भिन्न विनिधानों को करने की वैसे ही शक्तियों के साथ समय-समय पर विनिधान करना;

(नौ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना;

(दस) विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की ओर से सविदाएं करना, उनमें जेरफार करना, उन्हें निष्पादित करना और उन्हें रद्द करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और विद्यार्थियों को, जो किसी भी कारण से व्यथित अनुभव करते हैं, शिकायतें ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और यदि उचित समझी जाए तो उन्हें दूर करना;

(तेरह) विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमकों (माइरेटर) को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना, और उनकी फीस, उपलब्धियां और यात्रा एवं भत्ते नियत करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उसका उपयोग करने के लिए उपबन्ध करना;

(पन्द्रह) महिला विद्यार्थियों के निवास और अनुशासन के लिए ऐसे विशेष इंतजाम करना जैसे कि आवश्यक हों;

(सोलह) अपनी शक्तियों में से किन्हीं ऐसी शक्तियों को, जैसी कि वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, संकायाध्यक्षों, कुल सचिव या वित्त अधिकारी या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी ऐसी समिति को प्रत्यायोजित करना;

(सत्रह) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कार सम्प्रेषित करना;

(अठारह) अभ्यागत आचार्यों (विजिटिंग प्रोफेसर), प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति के लिए उपबन्ध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबन्धन तथा शर्तें अवधारित करना; और

(उनत्तीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रवृत्त की जाए या उस पर अधिरोपित किए जाए.

१९. (१) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय करेगी और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी. विद्या परिषद्,

(२) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे.

२०. (१) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा.

योजना बोर्ड,

(२) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे :

परन्तु योजना बोर्ड में अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.

प्राध्ययन-केन्द्रों का
होर्ड

२१. प्राध्ययन केन्द्रों के बोर्ड (बोर्ड ऑफ स्कूल) का गठन, उसकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे.

विश्व शिक्षा

२२. विश्व समिति का गठन, उसकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे.

विश्वविद्यालय के
अन्य प्राधिकारी.

२३. ऐसे अन्य प्राधिकारियों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएँ, गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे.

परिनियम बनाने की
शक्ति

२४. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का जो समय-समय पर गठित किए जाएँ, गठन, उनकी शक्तियाँ तथा कृत्य;

(ख) उपरोक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन, उनका पद पूरा करना रखना, जिसमें सदस्यों के रिक्त स्थानों का भरा जाना सम्मिलित है और उन प्राधिकारियों तथा निकायों से संबंधित समस्त अन्य मामले;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य और उनकी उपलब्धियाँ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें जिनके अंतर्गत अनुशासनात्मक मामले सम्मिलित हैं;

(ङ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारियों की किसी संयुक्त परियोजना को हाथ में लेने के लिए किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों या विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के मध्य विवाद के मामलों में माध्यस्थ्य के लिए प्रक्रिया;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की किसी कार्यवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या विद्यार्थी द्वारा प्रबंध बोर्ड को अपील करने के लिए प्रक्रिया;

(ज) किसी महाविद्यालय या संस्था या किसी विभाग को स्वशासी प्राप्ति प्रदान किया जाना;

(झ) प्राध्ययन केन्द्रों, विभागों, केन्द्रों, छात्र निवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और उनका उत्सादन;

(ञ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधियाँ, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं वापस लिया जाना;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित किया जाना;

(ड) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(ढ) कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखा जाना;

(ण) समस्त अन्य ऐसे विषय जिनके संबंध में परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना इस अधिनियम द्वारा अधिनियमित है

२५ (१) प्रबंध बोर्ड, समय-समय पर ऐसे परिनियम बना सकेगा जो अधिनियम के उद्देश्यों से संगत हों : परिणियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

परन्तु प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्राप्ति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनाएगा, उसे संशोधित या निरसित नहीं करेगा जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में लिखित में राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर प्रबंध बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा.

(२) प्रत्येक परिनियम या किसी परिनियम में किसी संशोधन या उसके निरसन के लिए कुलाधिपति की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे प्रबंध बोर्ड को पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा.

(३) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में प्रबंध बोर्ड को निदेश दे सकेगा कि वह कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए किसी मामले के संबंध में परिनियमों में उपबोध करे और यदि प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेश का, उसकी प्राप्ति से साठ दिन के भीतर क्रियान्वयन करने में असमर्थ रहता है तो कुलाधिपति, प्रबंध बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित किए गए कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उसे यथोचित रूप से संशोधित कर सकेगा.

२६. (१) समस्त अध्यादेश, कुलपति द्वारा प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से बनाए जाएंगे.

अध्यादेश बनाने की शक्ति.

(२) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबोधों के अध्वधीन रहते हुए अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबोध हो सकेंगे, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए अधिकृत किया जानेवाला पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान की जाना, उनके लिए अर्हताएं और उनके प्रदान किए जाने तथा अभिप्राय किए जाने के संबंध में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों हेतु और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के लिए प्रवेश देने हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं, पदकों तथा पुरस्कारों के प्रदान किए जाने के लिए शर्तें.

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसमें परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों और अंगुस्तीमकों (मॉडरेटर्स) की पदावधि, नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य सम्मिलित हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें;

- (स) विशेष इन्तजाम, यदि कोई हो, जो महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकते हैं और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का विहित किया जाना;
- (ज) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उपलब्धियां;
- (ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं तथा अन्य समितियों की स्थापना;
- (ठ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों जिनमें विद्वत् निकाय या संगम सम्मिलित हैं के साथ सहकार तथा सहयोग की रीति;
- (ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का सृजन, उसकी संरचना तथा उसके कृत्य जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक समझे जाएं;
- (ढ) अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के ऐसे अन्य निबंधन तथा सेवा की शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं की गई हैं;
- (ण) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए गए महाविद्यालयों तथा संस्थाओं का प्रबन्ध;
- (त) कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए किसी स्तर की स्थापना करना; और
- (थ) समस्त अन्य ऐसे विषय जिनके संबंध में अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाना इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित है।

विनियम

२७. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने स्वयं के और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के, यदि कोई हो, और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा कोई उपबंध नहीं किया गया है कामकाज के संचालन के लिए, ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हों।

वार्षिक रिपोर्ट

२८. (१) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूपेण संपरीक्षित वार्षिक लेखे तथा तुलनपत्र सम्मिलित हैं प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन प्रति वर्ष तैयार की जाएगी और उसमें अन्य विषयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपायों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(२) इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर को या उसके पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर को या उसके पूर्व राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो यथासंभव शीघ्र उसे विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

२९. (१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित सविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, ऐसी सविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(२) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के मध्य किसी सविदा से उद्भूत कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर एक ऐसे माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें प्रबंध बोर्ड द्वारा नियुक्त किया

यहां एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक सदस्य तथा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिनिर्णायक सम्मिलित होगा।

(3) ऐसे मामले में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

30. (1) परीक्षा के लिए कोई विद्यार्थी या अभ्यर्थी, जिसका नाम, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति द्वारा आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया है और जिसे एक वर्ष से अधिक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से विवर्जित कर दिया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेश की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रबंध बोर्ड को अपील कर सकेगा और प्रबंध बोर्ड, यथास्थिति कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील तथा माध्यस्थ्य की प्रक्रिया।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी विद्यार्थी के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उद्भूत कोई विवाद, ऐसे विद्यार्थी के अनुरोध पर, माध्यस्थ्य अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और धारा 29 की उपधारा (2), (3) तथा (4) के उपबंध यथाशक्य, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को लागू होंगे।

31. विश्वविद्यालय के या किसी महाविद्यालय के या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी संस्था के किसी कर्मचारी या विद्यार्थी को, इस अधिनियम में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबंध बोर्ड को अपील ऐसे समय के भीतर करने का अधिकार होगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, और तदुपरांत प्रबंध बोर्ड ऐसे विनिश्चय की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

अपील का अधिकार।

32. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि गठित करेगा तथा ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

भविष्य तथा पेंशन निधि।

33. यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन के बारे में विवाद।

34. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, वहां अन्यथा उपबंधों के सिवाय ऐसी समितियों में संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसा अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसे प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

समितियों का गठन।

35. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां, यथाशक्य शीघ्र, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और इस प्रकार किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस व्यक्ति की अवशिष्ट अवधि के लिए रहेगा जिस व्यक्ति के स्थान की उसने पूर्ति की हो।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

36. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इन कानून में अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान हैं।

विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियों का अधिनियमों के कारण अविधिमान्य न होना।

अध्यादेशों की तारीखों के लिए प्रयोग

३७. किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या भित्तिका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मियों के विरुद्ध कोई यत्न या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

उपसमप्रयोग
उपबंध

३८. इस अधिनियम तथा परिनियमों में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उक्त अधिकारी पांच वर्ष की कालावधि के लिए पदधारण करेगा;

(ख) प्रथम कुलाधिपति तथा प्रथम विश्वविद्यालय के निदेशित कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उक्त अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा;

(ग) प्रथम प्रबंध बोर्ड में ग्यारह से कम अधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे और ये तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे;

(घ) प्रथम विद्या परिषद् तथा प्रथम योजना बोर्ड को कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परंतु यदि उपरोक्त पदों या अधिकारियों में कोई रिक्ति होती है तो उसे कुलाधिपति द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति, जब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह अधिकारी या व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है ऐसा पदधारण किए रहता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती।

परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों को राज्य में प्रकाशित किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय के समक्ष रखा जाएगा।

३९. (१) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम उसके बनाने जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, मध्यप्रदेश विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

(३) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों को ऐसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति जाती है जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व की तारीख नहीं होगी, परन्तु किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम को ऐसा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसे ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 1995

क्र. 13314-इककीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 37 of 1995.

MAHARISHI MAHESH YOGI VEDIC VISHWAVIDYALAYA ADHINTYAM, 1995.

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. The University.
4. Powers of the University.
5. Jurisdiction.
6. University open to all classes castes and creed.
7. Residence of Students
8. Officers of the University.
9. The Chancellor.
10. The Vice-Chancellor
11. The Pro-Vice-Chancellor.
12. Deans of Schools.
13. The Registrar.
14. The Finance Officer.
15. Other Officers.
16. Authorities of the University.
17. The Board of Management.
18. Powers and Functions of the Board of Management.
19. The Academic Council.
20. The Planning Board.
21. The Boards of Schools.
22. The Finance Committee.
23. Other authorities of the University.
24. Power to make Statutes.
25. Statutes how to be made.
26. Power to make Ordinances.
27. Regulation.
28. Annual report.
29. Conditions of service of employees.
30. Procedure of appeal and arbitration in disciplinary cases against students.
31. Right to appeal.
32. Provident and Pension funds.
33. Disputes as to constitution of University authorities and bodies.
34. Constitution of Committees.
35. Filling of casual vacancies.
36. Proceedings of University authorities or bodies not invalidated by vacancies.
37. Protection of action taken in good faith.
38. Transitional provisions.
39. Statutes, Ordinances and Regulations to be published be in the Official Gazette and to be laid before the Legislative Assembly.

MADHYA PRADESH ACT

No. 37 of 1995.

MAHARISHI MAHESH YOGI VEDIC VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM, 1995.

[Received the Assent of the Governor on the 25th November, 1995; Assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated the 29th November, 1995.]

An Act to establish and incorporate a University in the State of Madhya Pradesh and to provide for education and prosecution of research in Vedic learnings and practices and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1995.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (b) "Academic Staff" means such categories of staff as are designated as academic staff by the ordinances;
- (c) "Board of Management" means the Board of Management of the University;
- (d) "Board of Studies" means the Board of Studies of the University;
- (e) "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" means, respectively, the Chancellor, Vice Chancellor and Pro-Vice-Chancellor of the University;
- (f) "College" means a College maintained by the University;
- (g) "Department" means a Department of Studies; and includes a Centre of Studies;
- (h) "distance education system" means the system of imparting education through any means of communication, such as broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes or the combination of any two more such means;
- (i) "Employee" means any person appointed by the University, and includes teachers and other staff of the University;
- (j) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- (k) "Hall" means a unit of residence or of corporate life for the students of the University, or of a College or of an Institution maintained by the University;
- (l) "Institution" means an academic institution, not being a college, maintained by the University;

(m) "Planning Board" means the Planning Board of the University;

(n) "Principal" means the Head of a College or an Institution maintained by the University, and includes, where there is no Principal, the person for the time being duly appointed to act as Principal, and, in the absence of the Principal or the acting Principal, a Vice-Principal duly appointed as such;

(o) "recognised institution" means an institution of higher learning recognised by the University.

(p) "recognised teachers" means such persons as may be recognised by the University for the purpose of imparting instructions in a college or an Institution maintained by the University;

(q) "Regulations" means the Regulations made by any authority of the University under this Act for the time being in force;

(r) "School" means a School of Studies of the University;

(s) "Statutes" and "Ordinances" means, respectively, the Statutes and Ordinances of the University for the time being in force;

(t) "teachers of the University" means Professors, Readers, Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in any College or Institution maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances;

(u) "University" means the Maharshi Mahesh Yogi Vedic University established under this Act;

(v) "Year" means the twelve months period ending on thirtieth of June.

3. (1) There shall be established a University by the name of Maharshi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya. The University.

(2) The headquarters of the University shall be at village Karondi, Tehsil Sihora, District Jabalpur, Madhya Pradesh and it may also establish campuses at such other places within its jurisdiction as it may deem fit.

(3) The first Chancellor, Vice-Chancellor, and the first Members of the Board of Management of the Academic Council or Planning Board and all person who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted into a body corporate by the name of Maharshi Mahesh Yogi Vedic University.

(4) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

4. The University shall have the following powers, namely :—

Powers of the University.

(i) to provide for instruction in all branches of Vedic learning and practices including Darshan, Agam Tantra, Itihas, Puranas, Upvedas and Gyan-Vigyan and the promotion and development of the study of Sanskrit as the University may, from time to time determine and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge.

- (ii) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examination, evaluation or any other method of testing on, persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
- (iii) to organise and to undertake extra-mural studies, training and extension services;
- (iv) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes;
- (v) to provide facilities through the distance education system;
- (vi) to recognise an institution of higher learning for such purposes as the University may determine and to withdraw such recognition;
- (vii) to recognise persons for imparting instruction in any college or institution maintained by the University;
- (viii) to appoint persons working in any other University or organisation as teacher of the University for a specified period;
- (ix) to create teaching administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto.
- (x) to co-operate or collaborate or associate with any other University or authority or institution of higher learning in such manner and for such purposes as the University may determine;
- (xi) to establish such campuses, special centres, specialised laboratories or other units for research and instruction as are in the opinion of the University necessary for the furtherance of its objects;
- (xii) to institute and award fellowships, scholarships, stipends medals and prizes;
- (xiii) to establish and maintain colleges Institutions and Halls;
- (xiv) to make provision for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions, industrial or other organisation as the University may deem necessary;
- (xv) to organise and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, evaluators and other academic staff;
- (xvi) to make special arrangements in respect of the residence discipline and teaching of women students as the University may consider desirable;
- (xvii) to appoint on contract or otherwise visiting Professors Emeritus, Professors, Consultants, Scholars and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;
- (xviii) to confer autonomous status on a college or an Institution or a Department as the case may be, in accordance with the statutes;
- (xix) to determine standards of admission to the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing;

- (xx) to fix quota for students belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for admission purposes;
- (xxi) to demand and receive payment of fees and other charges;
- (xxii) to supervise the residences of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (xxiii) to lay down conditions of service of all categories of employees, including their code of conduct;
- (xxiv) to regulate and enforce discipline among the students and the employees, and to take such disciplinary measures in this regard as may be deemed by the University to be necessary;
- (xxv) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees;
- (xxvi) to receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable including trust and endowment properties for the purposes of the University;
- (xxvii) to borrow on the security of the property of the University, Money for the purposes of the University;
- (xxviii) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of its objects.

5. The jurisdiction of the University shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

Jurisdiction.

6. The University shall be open to all persons of either sex and of whatever caste, creed, race, class, place of domicile and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any persons, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the University or to hold any other office therein or be admitted as a student in the University or to graduate thereat or to enjoy or exercise any privilege thereof.

University open to all classes, castes and creed.

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for the employment or promotion of educational interests of women, physically handicapped or of persons belonging to the weaker sections of the society and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

7. Every student of the University other than a student who pursues a course of study by distance education system, shall normally reside in a Hall or hostel under such conditions as may be prescribed by the Ordinances.

Residence of Student.

8. The following shall be the officers of the University :—

Officers of the University.

- (1) the Chancellor;
- (2) the Vice-Chancellor;
- (3) the Pro-Vice-Chancellor;
- (4) the Deans of Schools;
- (5) the Registrar;
- (6) the Finance Officer; and
- (7) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

The Chancellor.

9. (1) Maharshi Mahesh Yogi shall be the first Chancellor and shall hold office during his life time.

(2) After the first Chancellor the Board of Management shall appoint a Chancellor from amongst persons of eminence and renowned scholar of Vedic education, who shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappointment.

(3) The Chancellor shall by virtue of his office, be the head of the University.

(4) the Chancellor shall, if present, preside at the convocation of the University held for conferring degrees, and may be delegated such powers as may be necessary.

The Vice-Chancellor.

10. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic head of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such Authority the action taken by him on such matter:

Provided that if the Authority concerned is of opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the Board of Management within three months from the date on which decision or such action is communicated to him and thereupon the Board of Management may confirm modify or reverse the action by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor, if he is of the opinion that any decision of any authority of the University is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances or that any decision taken is not in the interest of the University, may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(5) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

The Pro-Vice-Chancellor.

11. One or more Pro-Vice-Chancellor may be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

Deans of Schools.

12. Every Dean of a School shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

The Registrar.

13. (1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreement sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

14. The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

The Finance Officer.

15. The manner of appointment and powers and duties of the other officers of the University shall be prescribed by the Statutes.

Other Officers.

16. The following shall be the authorities of the University, namely :—

Authorities of the University.

- (1) the Board of Management;
- (2) the Academic Council;
- (3) the Planning Board;
- (4) the Boards of Studies;
- (5) the Finance Committee; and
- (6) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

17. (1) The Board of Management shall be the Principal executive body of the University and shall consist of—

The Board of Management.

- (i) Vice-Chancellor;
- (ii) Pro-Vice-Chancellors;
- (iii) Dean of Schools of studies to be appointed by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;
- (iv) one Head of Department of the University, who is not a Dean, to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;
- (v) one Professor, who is not a Dean or Head, to be appointed by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;
- (vi) one Reader, who is not a Head, to be appointed by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;
- (vii) one Lecturer to be appointed by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;
- (viii) Secretary in charge of Higher Education or his nominee;
- (ix) four persons of distinction in Vedic education and or public life to be nominated by the Chancellor.

(2) All members of the Board of Management, other than *ex-officio* members, shall hold office for a period of three years from the date of their nomination or appointment as such.

(3) Seven members of the Board of Management shall form quorum for the meeting of the Board.

18. (1) The Board of Management shall have the power of management and administration of the revenue and property of the University and the conduct of all administrative affairs of the University as otherwise provided for.

Powers and functions of the Board of Management.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, the Board of Management shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

- (a) to create teaching and academic posts, to determine the number and emoluments of such posts and to define the duties and conditions of service of Professors, Readers, Lecturers and other academic staff and Principals of Colleges and Institutions maintained by the University;

Provided that no action shall be taken by the Board of Management in respect of the number, qualifications and the emoluments of teachers and academic staff otherwise than after consideration of the recommendations of the Academic Council;

- (ii) to appoint such Professors, Readers, Lecturers and other academic staff as may be necessary, and Principals of colleges and institutions maintained by the University on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and to fill up temporary vacancies therein;
- (iii) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments there to in the manner prescribed by the Ordinances;
- (iv) to grant leave of absence to any officer of the University other than the Chancellor and the Vice-Chancellor, and to make necessary arrangement for the discharge of the functions of such officer during his absence;
- (v) to regulate and enforce discipline among employees in accordance with the Statutes and the Ordinances;
- (vi) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University, and for that purpose to appoint such agents as it may think fit;
- (vii) to fix limits on the total recurring and the total non-recurring expenditure for a year on the recommendations of the Finance Committee;
- (viii) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income in such stocks, funds, share or securities from time to time, as it may think fit or in the purpose of immovable property in India, with the like powers of varying such investment from time to time;
- (ix) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University;
- (x) to provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (xi) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;
- (xii) to entertain, adjudicate upon, and if considered fit, to redress any grievances of the employees and students of the University who may, for any reason, feel aggrieved;
- (xiii) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them, and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;
- (xiv) to select a common seal for the University and provide for the custody and use of such seal;
- (xv) to make such special arrangements as may be necessary for the residence and discipline of women students;
- (xvi) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, the Deans, the Registrar or the Finance Officer or such other employee or Authority of the University or to a committee appointed by it as it may deem fit;
- (xvii) to institute fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;
- (xviii) to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants and Scholars and determine the terms and conditions of such appointments; and

- (xix) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the Act, or the Statute.

19. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies and programmes of the University.

The Academic council.

(2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be prescribed by the Statutes;

20. (1) The Planning Board shall be the principal planning body of the University.

The Planning Board.

(2) The constitution of the Planning Board, term of office of its members and its powers and functions shall be prescribed by the Statutes:

Provided that representation shall also be given to non-teaching staff in the Planning Board.

21. The constitution, powers and functions of the Boards of Schools shall be prescribed by the Statutes.

The Boards of Schools.

22. The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be prescribed by the Statutes.

The Finance committee.

23. The constitution, powers and functions of other authorities, as may be declared by the Statutes to be the Authorities of the University shall be prescribed by the Statutes.

Other authorities of the University.

24. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—

Power to make Statutes.

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the election and continuance in office of the members of the said authorities and bodies including the filling up of vacancies of members and all other matters relating to those authorities and bodies;

(c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;

(d) the appointment of teachers, academic staff and other employees of the University, their emoluments and other conditions of service including disciplinary matters;

(e) the appointment of teachers, academic staff working in any other University or organisation for a specific period for undertaking a joint project;

(f) the procedure for arbitration in cases of dispute between employees or students and the university;

(g) the procedure for appeal to the Board of Management by any employees or student against the action of any officer or authority of the University;

(h) the conferment of autonomous status on a College or an Institution or a Department;

(i) the establishment and abolition of Schools, Departments, Centres, Halls, Colleges and Institutions;

- (j) the conferment of honorary degrees;
- (k) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (l) the institution of fellowships, Scholarships, stipends, medals and prizes;
- (m) The delegation of powers vested in the authorities or officers of the University;
- (n) the maintenance of the discipline among the employees and students;
- (o) all other matters required by this Act to be provided for by the Statutes.

Statutes how to
be made.

25. (1) The Board of Management may, from time to time, make statutes consistent with the objects of the Act:

Provided that the Board of Management shall not make, amend or repeal any statute affecting the status, powers or constitution of any Authority of the University until such Authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Board of Management.

(2) Every Statute or any amendment or repeal of a Statute shall require the assent of the Chancellor who may assent thereto or withhold assent or remit the same to the Board of Management for reconsideration.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the Chancellor in exceptional circumstances, may direct the Board of Management to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Board of Management is unable to implement such direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Board of Management for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

Power to make
Ordinances.

26. (1) All ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the Board of Management.

(2) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
- (c) the medium of instruction and examination;
- (d) the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
- (e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees and diplomas of the University;
- (f) the conditions for award of fellowships scholarships, stipends medals and prizes;
- (g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

- (h) the conditions of residence of the students of the University;
- (i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and the prescribing of special courses of studies for them;
- (j) the appointments and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the statutes;
- (k) the establishment of Centres of studies, Boards of studies, Special Centres, Specialised Laboratories and other Committees;
- (l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or associations;
- (m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;
- (n) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes;
- (o) the management of colleges and institutions established by the University;
- (p) the setting up of a machinery for redressal of grievances of employees; and
- (q) all other matters which by this Act or the statutes are required to be provided for by the ordinances.

27. The authorities of the University may in the manner prescribed by the Statutes, make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the Committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

Regulations.

28. (1) The annual report of the University including the annual accounts and balance sheet duly audited by a chartered accountant, shall be prepared for each year under the direction of the Board of management, which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects.

Annual report.

(2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor on or before the thirty-first of December of each year.

(3) A copy of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be submitted to the State Government on or before the thirty-first of December of each year which shall as soon as may be, cause the same to be laid before, the Legislative Assembly.

29. (1) Every employee of the University shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.

Conditions of service of employees.

(2) Any dispute arising out of the contract between the University and any employee shall, at the request of the employee, be referred to a Tribunal of Arbitration consisting of one member appointed by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

(3) The decision of the Tribunal in such matter shall be final.

(4) The procedure for regulating the work of the Tribunal shall be prescribed by the Statutes.

Procedure of
appeal and
arbitration in
disciplinary
cases against
students.

30. (1) Any student or candidate for an examination whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Vice-Chancellor, Discipline Committee or Examination Committee, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may, within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution by him, appeal to the Board of Management and the Board of Management may confirm, modify or reverse the decision of the Vice-Chancellor or the Committee, as the case may be.

(2) Any dispute arising out of any disciplinary action taken by the University against a student shall, at the request of such student, be referred to a Tribunal of arbitration and the provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of section 29 shall, as far as may be, apply to a reference made under this sub-section.

Right to appeal.

31. Every employee or student of the University or of a college or Institution maintained by the University shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed by the Statutes, to the Board of Management against the decision of any officer or authority of the University or of the Principal of any college or institution, as the case may be, and thereupon the Board of Management may confirm, modify or reverse the decision appealed against.

Provident and
pension funds.

32. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes.

Disputes as to
constitution of
University au-
thorities and
bodies.

33. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Constitution of
Committees.

34. Where any authority of the University is given power by this Act or the Statutes to appoint Committees, such committees shall, save as otherwise provided, consist of the members of the authority concerned and of such other person, if any, as the Authority in each case may think fit.

Filling of casual
vacancies.

35. All casual vacancies among the members (other than ex-officio members of any Authority or other body of the University) shall be filled, as soon as may be, by the person or body who appointed, elected or co-opted the member whose place has become vacant and the person so appointed, elected or co-opted to the casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term of the person whose place he fills.

Proceedings of
University au-
thorities or bod-
ies not invalidated
by vacancies.

36. No Act or proceedings of any Authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

Protection of ac-
tion taken in good
faith.

37. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances.

Transitional
provisions.

38. Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes,—

(a) the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of five years;

(b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor and each of the said officers shall hold office for a term of three years;

(c) the first Board of Management shall consist of not more than eleven members who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of three years;

(d) the first Academic Council and the first Planning Board shall be nominated by the Chancellor for a term of three years;

Provided that if any vacancy occurs in the above offices or Authorities, the same shall be filled by appointment or nomination, as the case may be, by the Chancellor and the person so appointed or nominated shall hold office for so long as the officer or member in whose place he is appointed or nominated would have held that office, if such vacancy had not occurred.

39. (1) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be published in the Official Gazette.

(2) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Madhya Pradesh Legislative Assembly.

(3) The Power to make Statutes, Ordinances or Regulations shall include the power to give retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of this Act, to the Statutes, Ordinances or Regulations or any of them but no retrospective effect shall be given to any Statute, Ordinance or Regulation so as to Prejudicial affect the interest of any person to whom such Statute, Ordinance or regulation may be applicable.

Statutes, Ordinances and Regulations to be published in the Official Gazette and to be laid before Legislative Assembly.